**pnb Housing Finance Limited**
Ghar Ki Baat

पंजी . कार्यालय: 9वीं मंज़िल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23445200, वेबसाइट: www.pnbhousing.com
सीआईएन संख्या: L65922DL1988PLC033856

## संबंधित व्यक्ति को

## परिसर स्थानांतरित करने के लिए नोटिस

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम 26 अप्रैल 2025 को या उससे पहले निम्नलिखित कार्यालय परिसर में स्थानांतरित हो रहे हैं :

**वर्तमान पता:**
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ 323–324, प्रथम तल, सेक्टर 35 बी, चंडीगढ़ – 160008

नया पता (स्थानांतरण के बाद):
पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एससीओ 323–324, द्वितीय तल, सेक्टर–35 बी, चंडीगढ़ – 160008

**हस्ता./–, प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

---

# हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय : 09, सामुदायिक केंद्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली–110057**
**शाखा कार्यालय : ए-6, तृतीय तल, सेक्टर-4, नोएडा-201301**

## सार्वजनिक सूचना ( अचल संपत्ति के विक्रय हेतु ई–नीलामी)

**(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत)**

**वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के पास बंधककृत अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना**

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न उधारकर्ता(ओं) तथा गारंटर(रों), अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित अचल संपत्तियां, जिनका कब्जा हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 25–फरवरी–2025 (नीलामी तिथि) को "जैसी है जहां है" एवं "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं अथवा गारंटरों की ओर देय–भुगतेय बकाया राशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। सार्वजनिक ई–नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी को बोली फॉर्म के साथ डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाना चाहिए, जिसे हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को शाखा कार्यालय : ए–6, तृतीय तल, सेक्टर–4, नोएडा–201301 में 24–फरवरी–2025 को शाम 5 बजे तक या उससे पहले जमा किया जाना चाहिए।

| ऋण खाता सं. | उधारकर्ता(ओं)/सह-उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों)/ विधिक उत्तराधिकारी(यों)/ विधिक प्रतिनिधि के नाम | मांग सूचना की तिथि / तिथि के अनुसार राशि | आधिपत्य का प्रकार (रचनात्मक/ भौतिक के अंतर्गत) | आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि |
|---|---|---|---|---|
| HHFDELHDU19000802896 & HHFNDILAP23000008578 | आदेश कुमार, सरोज शर्मा | 15.02.2024<br>20.01.2025 तक रु. 27,26,791/– | भौतिक | रु.22,00,000/–<br>रु.2,20,000/– |

**संपत्ति का विवरण:** गांव–मटियाला, आबादी के क्षेत्र में स्थित है, जिसे नन्हे पार्क उत्तम नगर, नई दिल्ली – 110059 के नाम से जाना जाता है में प्लॉट नंबर ई –60 पर बिना छत के अधिकार वाली संपत्ति का बायाँ हिस्सा, खसरा नंबर 21/3 में से 66.5 वर्ग गज की भूमि पर बना है,जिसमें बिजली, पानी और सीवर कनेक्शन लगा हुआ है, सीढ़ियों और मार्ग के सामान्य अधिकार के साथ, स्टिल्ट फ्लोर पर एक बाइक पार्किंग भी है। सीमा: उत्तर: अन्य का प्लॉट, पूर्व: प्लॉट नंबर 61, दक्षिण: प्लॉट नंबर 60 का हिस्सा, पश्चिम: सड़क

**नियम एवं शर्तें:** ई–नीलामी पोर्टल **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से 25–फरवरी–2025 (ई–नीलामी तिथि) दोपहर 2.00 बजे के बाद 10 मिनट प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ होगी। इच्छुक क्रेताओं/बोलीदाताओं को ईएमडी राशि या तो आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या "हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करनी होगी। ई–नीलामी के समापन के बाद असफल बोलीदाताओं को ईएमडी राशि वापस कर दी जाएगी। ई–नीलामी के नियम और शर्तें: 1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "जो कुछ है के आधार पर" और "बिना किसी सहारे के" के आधार पर "ऑनलाइन" आयोजित किया जा रहा है। 2. बोली वृद्धि राशि रु.15,000/– (पन्द्रह हजार रूपये मात्र)होगी। 3. ई–नीलामी अपने वेब पोर्टल **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (हेल्पलाइन नंबर: 07961200576/544/594/596/531/583/569, 6351896643 और ई–मेल **support@auctiontiger.net/maulik.shrimali@auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 4. सुरक्षित लेनदारों की जानकारी में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोलियाँ जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्ति के स्वामित्व, दावे/अधिकार/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। इस संबंध में, ई–नीलामी विज्ञापन हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। 5. प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। ई–नीलामी के अन्य नियम और शर्तें निम्नलिखित

वेबसाइट : **www.herohousingfinance.com** पर प्रकाशित हैं। 6.संपत्ति के विवरण और संपत्ति के दौरे के लिए श्री इरशाद अली/**ershad.ali@herohfl.com** /8802270415 और शेखर सिंह/9711522275/ **shekhar.singh@herohfl.com** पर संपर्क करें। 7.संभावित बोलीदाता पूर्व अपॉइंटमेंट के साथ 18–फरवरी–2025 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।

### ऋणकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता हेतु 30 दिवसीय विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता/बंधककर्ता/गारंटरगणों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तिथि से पूर्व तिथि के अनुसार नियत ब्याज एवं व्ययों के साथ धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना में अंकितानुसार कुल बकाया राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी कर दी जाएगी तथा शेष बकाया राशि, यदि कोई निकलती है, की वसूली आपसे ब्याज एवं लागत सहित की जाएगी। विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (प्रतिभूति ऋणदाता) की वेबसाइट अर्थात् **www.herohousingfinance.com** पर उपलब्ध लिंक **https://uat.herohomefinance.in/hero_housing / other-notice** का संदर्भ ग्रहण करें।

**प्राधिकृत अधिकारी**
**दिनांक: 23.01.2025**
**स्थान: दिल्ली** **कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लि.**
**श्री सुनील यादव, मो 9818840495 ईमेल : assetdisposal@herohfl.com**

---

# सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालय–** प्लॉट नंबर 2 फेज–3, संसारपुर टेरेस, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश–173212
**कॉर्पोरेट कार्यालय:** एफ–32/3, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–।।, नई दिल्ली–110020
**ईमेल आईडी–** secretarial@surajindustries.org: **वेबसाइट–** www.surajindustries.org
**सीआईएन:** L26943HP 1992PLC016791 **टेलीफोन नंबर:** 01970–256414

## असाधारण आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग सूचना

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शनिवार, 15 फरवरी, 2025 को अपराह्न 3:30 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") /अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओएवीएम") के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा दी गई सुविधा के अनुसार: अप्रैल 08, 2020, 17/2020, दिनांक: अप्रैल 13, 2020, 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020, 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 द्वारा जारी (एमसीए परिपत्र) और परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020, 13 मई, 2022, 5 जनवरी, 2023, 07 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र दिनांक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 03 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया, जिसमें सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (जिसे "सेबी परिपत्र" कहा जाता है) में छूट प्रदान की गई है, जिसके तहत कंपनी की असाधारण आम बैठक की सूचना में उल्लिखित विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए सदस्यों की एक सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थिति के बिना ही बैठक आयोजित की जा सकती है।

कंपनी की ईजीएम की सूचना, ई–वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से असाधारण आम बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ बुधवार, 22 जनवरी, 2025 को उन सभी सदस्यों को ईमेल के माध्यम से भेज दी गई है, जिनका ईमेल पता कंपनी या रजिस्ट्रार ऑफ ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार पंजीकृत है और यह कंपनी की वेबसाइट www.surajindustries.org, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2015 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के साथ, सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से रिमोट ई–वोटिंग (ईजीएम से पहले) और ई–वोटिंग (ईजीएम के दौरान) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है।

रिमोट ई–वोटिंग अवधि **बुधवार, 12 फरवरी, 2025 को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को शाम 05:00 बजे** समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मोड से ई–वोटिंग शुक्रवार, 14 फरवरी, 2025 को शाम 5:00 बजे के बाद की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बाद CDSL द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

जिन सदस्यों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है, वे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई–वोटिंग सुविधा के माध्यम से अपना वोट दोबारा नहीं डालेंगे।

एक बार जब सदस्य किसी प्रस्ताव पर वोट दे देते हैं, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई–वोटिंग, ईजीएम में शामिल होने और ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश ईजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

सदस्यों के वोटिंग अधिकार **शनिवार, 08 फरवरी, 2025** ('कट–ऑफ तिथि') को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी का सदस्य है, केवल असाधारण आम बैठक में शामिल होने, रिमोट ई–वोटिंग और ईजीएम के दौरान ई–वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि के अनुसार सदस्य नहीं रह जाता है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

एक व्यक्ति जिसने शेयर खरीदे हैं और एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन गया है और कटऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

जो सदस्य भौतिक रूप में शेयर रखते हैं या जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार ई–वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकते हैं:

1. **भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए,** कृपया अपना नाम, फोलियो नंबर, पंजीकृत किया जाने वाला ई–मेल पता शेयर प्रमाणपत्र (सामने और पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति और आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन की गई प्रति के साथ secretarial@surajindustrie.org पर कंपनी को ई–मेल द्वारा प्रदान करें।
2. **डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए,** कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी/प्रतिभागियों के माध्यम से अपना ई–मेल पता अपडेट करें।

यदि आपके पास ई–वोटिंग सुविधा से संबंधित कोई प्रश्न है, तो कृपया www.evotingindia.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या 022–23058542 पर सीडीएसएल से संपर्क करें। ई–वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में, कृपया श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 से संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें या 022–23058542 पर कॉल करें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीके के लिए कृपया ईजीएम की सूचना देखें। मतदान के परिणाम ईजीएम के समापन से **2 कार्य दिवसों** के भीतर घोषित किए जाएंगे और इस प्रकार घोषित परिणाम समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट और सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखे जाएंगे।

कंपनी को कंपनी के शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन के लिए आईएसआईएन (आईएनई170U01011) आवंटित किया गया है। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया अपने शेयरों को डीमैटरियलाइज करवा लें।

**निदेशक मंडल के आदेश से**
**सूरज इंडस्ट्रीज लिमिटेड**
**हस्ता/–**
**स्नेहलता शर्मा**
**(कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी)**

**दिनांक: 22 जनवरी, 2025**
**स्थान: नई दिल्ली**

---

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

# सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 492, उद्योग विहार, फेज–3 गुरुग्राम हरियाणा–122016,**
**पंजीकृत कार्यालय: 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली–110033**

## कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8–(1)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002(54, का 2002) के अंतर्गत सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ खंनियम 3, के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उधारकर्ता/ओं को मांग नोटिस जारी करते हैं, जिसमें संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, प्रभारों और खर्चों के साथ नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है।

उक्त ऋणी/सह–ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणी/सह–ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ इस तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित लेन–देन सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार इसमें निर्दिष्ट राशि के लिए संबंधित तिथियों से पूर्ण भुगतान तक आगे ब्याज, लागत और शुल्क के साथ के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता और ऋण खाता संख्या का नाम | अचल संपत्ति का विवरण | मांग नोटिस की तिथि | देय राशि रु. में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रेम सिंह पुत्र ओम प्रकाश (उधारकर्ता)<br>1. जगरेश वती पत्नी प्रेम सिंह (सह–उधारकर्ता)<br>ऋण संख्या LAHPU0323-00007369 | खसरा संख्या 1106 में से 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आवासीय प्लॉट, ग्राम पांचली खुर्द, परगना और तहसील और जिला–मेरठ में स्थित है। (भुजा 47.21 फीट), पश्चिम– संतपाल का प्लॉट (भुजा 47.21 फीट), उत्तर– सड़क 16 फीट चौड़ी (भुजा 45.60 फीट), दक्षिण– बिजेंद्र सिंह का प्लॉट (भुजा 45.60 फीट)। 28.12.2015 को पंजीकृत, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 10964, पृष्ठ संख्या 127 से 150, क्रम संख्या 14606) | 19.11.2024<br>कब्जे की तिथि<br>29.01.2025 | रु. 4,34,608/– (रुपये चार लाख चौंतीस हजार छः सौ आठ मात्र) |
| 2 | संजय सिंह पुत्र भगत सिंह (उधारकर्ता) 1. गीता देवी पत्नी संजय सिंह (सह–उधारकर्ता) ऋण संख्या LAGZB0223-00007078 | आवासीय प्लॉट संख्या 26, क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर, ब्लॉक बी, सेक्टर/गांव आबादी बिर्रौडी, चकरसेंपुर, ग्रेटर नोएडा, जिला – गौतम बुद्ध नगर। सीमा निम्नानुसार है: हस्तांतरण विलेख के अनुसार। पंजीकृत दिनांक 22.03.2023, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 42577, पृष्ठ संख्या 187 से 206, क्रम संख्या – 7555 | 19.11.2024<br>कब्जे की तिथि<br>29.01.2025 | रु. 34,20,088/– (रुपये चौंतीस लाख बीस हजार अठासी मात्र) |
| 3 | मनीष कुमार पुत्र महिपाल सिंह (उधारकर्ता)<br>1. संध्या देवी पत्नी महिपाल सिंह,<br>2. महिपाल सिंह पुत्र लखमी सिंह,<br>3. नितिन कुमार पुत्र महिपाल सिंह (सह–उधारकर्ता)<br>ऋण संख्या LAHPU0622-00005242 | एक आवासीय प्लॉट जिसका क्षेत्रफल 79.46 वर्ग गज यानि 66.48 वर्ग मीटर है, खसरा नंबर 2164/1, कस्बा– बरन (नगर पालिका, रामपुरा ग्रामीण की सीमा से बाहर), परगना बरन, तहसील और जिला – बुलंदशहर में स्थित है। निम्नानुसार घिरा हुआ है: पूर्व– विक्रेता की भूमि (भुजा 41 फीट 4.5 इंच), पश्चिम– विक्रेता की भूमि (भुजा 42 फीट 9.5 इंच), उत्तर– सड़क 24 फीट चौड़ी (भुजा 17 फीट), दक्षिण– खेत रामपाल और अन्य (भुजा 17 फीट)। पंजीकृत: 28.01.2020, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 5811, पृष्ठ संख्या 71 से 94, क्रम संख्या 718। | 19.11.2024<br>कब्जे की तिथि<br>29.01.2025 | रु. 5,23,326/– (पांच लाख तेईस हजार तीन सौ छब्बीस रुपये मात्र) |
| 4 | दयाशंकर सागर पुत्र रामचन्द्र सागर (उधारकर्ता)<br>1. रमन सागर पत्नी दयाशंकर सागर (सह–उधारकर्ता)<br>ऋण संख्या LAHPU1022-00006033 | खसरा संख्या 293 में से 38.22 वर्ग गज यानि 31.96 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एक आवासीय प्लॉट, गाँव– पटना, परगना और तहसील और जिला– हापुड़ में स्थित है। निम्नानुसार घिरा हुआ हैरू पूर्व–मकान 8 फीट), पश्चिम– सड़क 25 फीट चौड़ी (भुजा 8 फीट), उत्तर– रघुवीर सिंह का प्लॉट (भुजा 43 फीट), दक्षिण– अरविंद का प्लॉट (भुजा 43 फीट)। पंजीकृत:26.12.2012, पुस्तक संख्या 01, खंड संख्या 8600, पृष्ठ संख्या 149 से 162, क्रम संख्या 20573। | 19.11.2024<br>कब्जे की तिथि<br>29.01.2025 | रु. 2,39,949/– (रुपये दो लाख उनचालीस हजार नौ सौ उन्चास मात्र) |

**स्थान: गुरुग्राम,**
**दिनांक: 21.01.2025**

**हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
**सैटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

---

YES BANK

**यस बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सैंटाक्रूज (पूर्व), मुंबई– 400055 वेबसाईट: www.yesbank.in**

## सार्वजनिक सूचना

**मेसर्स हरियाणा एग्री सीड्स ("उधारकर्ता") इसके भागीदारों के माध्यम से,** पता– मटखेरा रोड मुख्य बाजार में संपत्ति, मोहल्ला – टांडा जदीद, तहसील – बिलासपुर, जिला – रामपुर, उत्तर प्रदेश –244921

**श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री बृज मोहन अग्रवाल** ("भागीदार और गारंटर"), पता – मटखेरा रोड मुख्य बाजार में संपत्ति, मोहल्ला – टांडा जदीद, तहसील – बिलासपुर, जिला – रामपुर, उत्तर प्रदेश –244921
इसके अलावा यहां: मकान नंबर 395, बाजार कलां, बिलासपुर, रामपुर , उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश–244921

**श्री बृज मोहन पुत्र श्री तारा चंद्र ("भागीदार, गारंटर और बंधककर्ता")**, पता– गाटा संख्या 134 और गाटा संख्या 136 खा पर संपत्ति, वाके ग्राम– मुंडिया खुर्द, तहसील– बिलासपुर, जिला–रामपुर उत्तर प्रदेश–244921
इसके अलावा: एच. नं. 395, बाजार कलां, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश–244921

**श्री सुरेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बृज मोहन** ("भागीदार, गारंटर और बंधककर्ता"), पता– गाटा संख्या 134 और गाटा संख्या 136 ख पर संपत्ति , वेकी ग्राम–मुंडिया खुर्द, तहसील–बिलासपुर, जिला–रामपुर उत्तर प्रदेश–244921
इसके अलावा: मकान नंबर 395, बाजार कलां, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश –244921

**श्रीमती प्रेमलता अग्रवाल पत्नी श्री सुरेश कुमार अग्रवाल** ("गारंटर और बंधककर्ता"), पता– संपत्ति खसरा नंबर 87, 88, गांव– शिव बाग मंडी, तहसील– बिलासपुर, जिला– रामपुर उत्तर प्रदेश– 244921
इसके अलावा: मकान नंबर 395, बाजार कलां, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश–244921

**श्रीमती सुरभि अग्रवाल पत्नी श्री महेश अग्रवाल** ("गारंटर और बंधककर्ता"), पता– संपत्ति खसरा नंबर 87, 88, गांव– शिव बाग मंडी, तहसील– बिलासपुर, जिला– रामपुर उत्तर प्रदेश–244921
इसके अलावा: मकान नंबर 395, बाजार कलां, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश– 244921

**श्रीमती तृप्ता देवी अग्रवाल पत्नी श्री बृज मोहन अग्रवाल** ("गारंटर और बंधककर्ता"), पता – मटखेरा रोड मुख्य बाजार में संपत्ति, मोहल्ला – टांडा जदीद, तहसील – बिलासपुर, जिला – रामपुर, उत्तर प्रदेश –244921
इसके अलावा: मकान नंबर 395, बाजार कलां, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश –244921

**विषय:**– खसरा संख्या 87, 88, ग्राम– शिव बाग मंडी, तहसील– बिलासपुर, जिला– रामपुर, उत्तर प्रदेश, और गाटा संख्या 134 और गाटा संख्या 136 खा, वकी ग्राम– मुंडिया खुर्द, तहसील– बिलासपुर, जिला– रामपुर, उत्तर प्रदेश में बंधक संपत्ति में पड़े चल स्क्रैप/इन्वेंट्री को हटाने के लिए 07 दिनों का नोटिस।

प्रिय महोदय/महोदया,

1. हमारे पूर्व बिक्री पूर्व नोटिस दिनांक 4 नवंबर, 2024 और 25 नवंबर, 2024 के संदर्भ में, आप सभी को 30 अक्टूबर, 2024 को देय 5,41,63,366.00 रुपये (पांच करोड़ इकतालीस लाख तिरेसठ हजार तीन सौ छियासठ रुपये मात्र) का भुगतान करने का अवसर देते हुए, 4,25,00,000/- रुपये (चार करोड़ पच्चीस लाख रुपये मात्र) के स्वीकृत 'नकद ऋण' में सुविधा पत्र YBL/DEL/BB/FL/2270/2017-18 दिनांक 29.12.2017 और मास्टर सुविधा अनुबंध दिनांक 29.12.2017 और अन्य ऋण दस्तावेजों (समय–समय पर संशोधित और पूरक) के माध्यम से उधारकर्ता और बैंक के बीच विधिवत निष्पादित किया गया (सामूहिक रूप से "सुविधा अनुबंध" के रूप में संदर्भित)। ऋण सुविधा को समय–समय पर परिशिष्ट सुविधा पत्र संख्या YBL/CHD/BB/FL/1122/2018-19 दिनांक 25.02.2019, YBL/SPU/NE/2020-2021/000823 दिनांक 08.06.2020, YBL/SPU/NE/2020-2021/007356 दिनांक 25.02.2021, YBL/SPU/NE/2020-2021/008133 दिनांक 26.01.2022, YBL/SPU/NE/2022-2023/012056 दिनांक 29.03.2023 के माध्यम से नवीनीकृत/संशोधित/संशोधित किया गया था (इसके बाद सुविधा पत्र, मास्टर सुविधा अनुबंध और अन्य ऋण दस्तावेजों को सामूहिक रूप से "सुविधा अनुबंध" कहा जाएगा)। रुपये 85,00,000/- (केवल पिचासी लाख रुपये) के लिए कार्यशील पूंजी अवधि ऋण (राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत) भी उधारकर्ता को सुविधा पत्र दिनांक 02.07.2020 के माध्यम से प्रदान किया गया था और एक ऋण समझौता (समय–समय पर संशोधित और पूरक) उधारकर्ता और बैंक के बीच विधिवत निष्पादित किया गया था (सामूहिक रूप से "सुविधा समझौते" के रूप में संदर्भित) इसके बाद सामूहिक रूप से "क्रेडिट सुविधा" के रूप में संदर्भित किया जाता है, साथ में बाद में ब्याज और अन्य शुल्क, हालांकि आप उक्त नोटिस में उल्लिखित भुगतान करने में विफल रहे हैं।

2. यह कि आपके द्वारा भुगतान करने में विफल रहने के कारण, 6 दिसंबर, 2024 और 26 दिसंबर, 2024 को बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने बंधक संपत्ति को "गाटा संख्या 134 और गाटा संख्या 136 खा, वकी ग्राम– मुंडिया खुर्द, तहसील– बिलासपुर, जिला– रामपुर, उत्तर प्रदेश और खसरा संख्या 87, 88, ग्राम– शिव बाग मंडी, तहसील– बिलासपुर, जिला– रामपुर, उत्तर प्रदेश में सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी के माध्यम से बेच दिया है।

3. हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि उक्त बंधक संपत्ति पर कुछ चल स्क्रैप/इन्वेंट्री/प्लांट और मशीनरी पड़ी है जो हमारे रिकॉर्ड में रखी गई है।

4. हम आपको इस पत्र के माध्यम से सूचित करते हैं कि आप उपरोक्त बंधक संपत्ति से बनाई गई सूची के अनुसार चल स्क्रैप/इन्वेंट्री/प्लांट और मशीनरी को इस पत्र की तारीख से 07 दिनों के भीतर हटा लें, ऐसा न करने पर हमारा बैंक उक्त वस्तुओं पर किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उपरोक्त बंधक संपत्ति पर पड़े ऐसे चल स्क्रैप/इन्वेंट्री/प्लांट और मशीनरी के संबंध में किसी भी नुकसान/क्षति के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि आप निर्धारित अवधि के भीतर उक्त चल इन्वेंट्री को नहीं हटाते हैं तो बैंक मूल्यांकन के अनुसार चल संपत्ति की नीलामी करेगा और बिक्री मूल्य का भुगतान आपको किया जाएगा।

5. आपसे अनुरोध है कि कृपया किसी भी प्रश्न और स्पष्टीकरण के लिए हमारे बैंक के अधिकृत अधिकारी से मोबाइल नंबर +91 9810711126 पर संपर्क करें।

यह पत्र हमारे अधिकार और तर्क के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के है, कृपया ध्यान दें।

**धन्यवाद।**
**कृते यस बैंक लिमिटेड**
**प्रदीप कुमार**
**(प्राधिकृत अधिकारी)**

---

AKG EXIM
• Import • Export

# एकेजी